FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0206 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/07/2026 10:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 24/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 17/07/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:05 बजे **Time To (समय तक):** 19:48 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/07/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/07/2026 10:50:31 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 03 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** OLYMPIC ROAD, MAHATMA GANDHI HOSPITAL KE PICHE KE GATE KE PASS, JODHPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SURESH YADAV

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PHULCHAND YADAV

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1983 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	B 170, RIICO AWASIY COLONY, BORANADA JODHPUR, JODHPUR CITY WEST, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	B 170, RIICO AWASIY COLONY, BORANADA JODHPUR, JODHPUR CITY WEST, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ANKUSH BAGELA		पिता:KAILASH BAGELA	1. BAIJI KA TALAB JALORI GATE,JODHPUR,JODHPUR CITY EAST,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		75,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 75,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर विषय - रिश्वत मांगने वाले पटवारी के विरूद्ध कानुनी कार्यवाही करवाने बाबत। महोदय, जी नम्र निवेदन है कि प्रार्थी सुरेश यादव निवासी बी 170 रिको आवासीय कॉलोनी बोरानाड़ा जोधपुर का रहने वाला हुं। मैनें वर्ष 2022 में श्री पन्ने सिंह राजपुरोहित निवासी बम्बोर पटवार हल्का बम्बोर जिला जोधपुर में कब्जा शुदा खातेदारी कृषि भुमि में सब डिविजन प्लान तैयार कर छोटे-छोटे टुकडों में विभाजित करके खेतेश्वर मार्केट योजना बना रखी थी। उक्त योजना की जमीन में से कुल 20 दुकाने जो मौके पर निर्मित नहीं थी मात्र नक्शा बना हुआ था। उक्त दुकानों की जमीन पृथक पृथक जरिये रजिस्ट्री खरीद की गई जिसका कुल क्षेत्रफल 501.14 वर्ग गज है। उक्त खरीद की गई जमीन का म्यूटेशन भरवाने के लिए हल्का पटवारी श्री अंकुश बाघेला से दिनांक 26.09.2025 को मिला तो उनके द्वारा खरीद की गई जमीन की विक्रय विलेख की प्रतियां चाही जो मैनें उसी दिन उपलब्ध करवा दी तथा वांछित सभी दस्तावेज आधार कार्ड आदि प्रतिलिपियां उपलब्ध करवा दी। तत्पश्चात् लगातार पटवारी जी से सम्पर्क में हुं। तथा मेरे द्वारा बार बार अनुरोध करने पर भी मेरी जमीन का म्यूटेशन नहीं भर रहे। अभी में महिनें भर पहले उनके पावटा जोधपुर स्थित कार्यालय में जाकर मिला पटवारी तो पटवारी अंकुश बाघेला ने कहा कि आपके म्यूटेशन भरने में पन्ने सिंह का पुत्र महेन्द्रसिंह अड़चन पैदा कर रहा है आपको अपनी खरीद की गई जमीन का म्यूटेशन भरवाना है तो प्रति दुकान 5000 रूपये के हिसाब से 1,00,000 रूपये देने पडेगें तभी में म्यूटेशन भरूंगा। तब मैनें राशि ज्यादा होने के कारण कम करनें का निवेदन किया। तो पटवारी ने कहा 1,00,000 रूपये लगेंगें मे मे ेरे जायज काम के एवज में श्री अंकुश बाघेला हल्का पटवारी बम्बोर को रिश्वत नहीं देकर रिश्वत लेते हुए रंगें हाथों पकड़ावाकर कानुनी कार्यवाही करवाना चाहता हुं। मेरी पटवारी से कोई दुश्मनी या लेन-देन बकाया नहीं हैं। कृपा करके कानूनी कार्यवाही करावें।दिनांक- 24/6/26 भवदीय एसडी सुरेश यादव पुत्र फुलचन्द जी यादव जाति- यादव उम्र 43 निवासी B170 रीको आवासीय कोलोनी बोरानाडा जोधपुर M एसडी पदमसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जी 20/59 CHB जोधपुर एसडी ओमप्रकाश चौधरी ए.एस.पी. एसडी उमेश विश्नोई निरीक्षक पुलिस 16.7.2026 एसडी जगदीश नारायण व्यास 17.7.2026 एसडी मोहनलाल मीणा 17.7.2026 एसडी मनीष चौधरी 17.7.2026 कार्यवाही पुलिस दिनांक 24.06.2026 वक्त 0305 पी. एम. पर परिवादी श्री सुरेश यादव पुत्र श्री फुलचन्द यादव जाति यादव उम्र 43 वर्ष पेशा व्यवसाय निवासी बी 170 रीको आवासीय कॉलोनी बोरानाड़ा जोधपुर हमरा श्री पदमसिंह चारण के ब्यूरो चौकी एसयू जोधपुर पर मन ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर श्री अंकुश बाघेला पटवारी, पटवार हल्का बम्बोर तहसील व जिला जोधपुर के विरूद्ध उपरोक्त तथ्यों की पेश कर बताया कि श्री अंकुश बाघेला पटवारी द्वारा मेरे बम्बोर स्थित भूखण्डों (दुकानों) का म्यूटेशन भरने की एवज में 1,00,000 रूपये रिश्वत के तौर पर मांग रहा है। मैं उन्हें मेरे जायज काम की एवज में रिश्वत नहीं देकर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं। साथ ही बताया कि श्री अंकुश बाघेला पटवारी मेरे इस काम के बारे में मेरे मित्र श्री पदमसिंह चारण के सामने ही रिश्वत राशि की मांग की है तथा मैनें मेरी हिन्दी लेखनी अच्छी नहीं होने के कारण उक्त शिकायत मेरे मित्र श्री पदमसिंह चारण से ही लिखवाई है। जिस पर परिवादी के साथ उपस्थित श्री पदमसिंह चारण से भी आवष्यक पूछताछ की गई। परिवादी की प्राप्त शिकायत एवं दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। वक्त 0330 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के श्री गणेश कुमार कानि. नम्बर 219 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उपस्थित परिवादी श्री सुरेश यादव तथा सह परिवादी श्री पदमसिंह चारण का तथा कानि. श्री गणेश कुमार का आपस में परिचय करवाकर परिवादी तथा कानि. के मोबाईल नम्बर आपस में आदान-प्रदान करवाये जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास अलमारी में सुरक्षित रखें ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तथा नये मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर परिवादी श्री सुरेश यादव व कानि. श्री गणेश कुमार को डीवीआर के संचालन की प्रक्रिया समझाईश की गई। तत्पश्चात् परिवादी से गोपनीय रूप से पटवारी श्री अंकुश बाघेला की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु कहा जिस पर परिवादी द्वारा गोपनीय सूत्रों से पटवारी की उपस्थिति ज्ञात कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि पटवारी अभी ग्रामीण प्रशासनिक कैम्प में पूनियों की प्याउ जोलियाली गया हुआ है। वक्त 0400 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॅाईस रिकॉर्डर

मय मैमोरी कार्ड के श्री गणेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर परिवादी श्री सुरेश यादव हमरा श्री पदमसिंह चारण व श्री गणेश कुमार कानि. को आवश्यक हिदायत के साथ परिवादी के निजी वाहन से पूनियों की प्याउ जोलियाली की तरफ रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता करने हेतु रवाना किया। वक्त 0630 पी.एम.पर कानि. श्री गणेश कुमार, परिवादी श्री सुरेश यादव व सह परिवादी श्री पदमसिंह चारण रिश्वत राशिमांग सत्यापन वार्ता करने हेतु पूनियों की प्याउ जोलियाली गये हुए उपस्थित ब्यूरो चौकी एसयू आये एवं श्री गणेश कुमार कानि ने कार्यालय का डिवीआर मय मैमोरी कार्ड स्वीच ऑफ शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी श्री सुरेश यादव ने बताया कि मैं, श्री पदमसिंह चारण व कानि. श्री गणेश कुमार ब्यूरो कार्यालय से अपने निजी वाहन से रवाना होकर पूनियों की प्याउ पंचायत भवन से थोड़ा पहले पहुचें जहां पर श्री गणेश कुमार कानि. ने आवश्यक हिदायत के साथ अपने साथ लाये डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को ऑन कर मुझे सुपुर्द कर पटवारी से सम्पर्क कर वार्ता करने हेतु मुझे व श्री पदमसिंह चारण को पंचायत भवन पूनियों की प्याउ की तरफ रवाना किया। मैं व श्री पदमसिंह चारण वहां से रवाना होकर पंचायत भवन पूनियों की प्याउ में संचालित हो रहे प्रशासनिक ग्रामीण कैम्प में पहुचें जहां पर श्री अंकुश बाघेला पटवारी उपस्थित मिला। जिन्होनें मेरे कार्य के बारे में वार्ता करते हुए मेरी विनती पर पूर्व में मांगी गई रिश्वत राशि1,00,000 रूपये में से कुछ राशि 10-15 हजार रूपये कम करने एवं मेरे दुकानों का म्यूटेशन भरने की एवज में 70-80 हजार रूपये की मांग की। जो वार्ता डीवीआर के मौमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को ऑन कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता से परिवादी के उपरोक्त तथ्यों की ताईद होकर परिवादी के जायज काम की एवज में प्रतिवादी द्वारा रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई। फिर भी रिश्वत राशिमांग की स्पष्ट पुष्टि करने के लिए आईन्दा फिर से रिश्वत राशिमांग का सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया। तथा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अलमारी में रखा गया। चूंकि एसओं द्वारा तीन-चार दिन में दस्तावेज देकर पुनः मिलने की बात की है। इसलिए तीन दिन बाद पुनः स्पष्ट सत्यापन करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी व सह परिवादी को आवश्यक गोपनीयता की हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 29.06.2026 को वक्त 1200 पी.एम.पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री सुरेश यादव उपस्थित आये। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से पूछा गया कि पिछले तीन दिनों में पटवारी से सम्पर्क हुआ है क्या जिस पर परिवादी ने बताया कि पटवारी श्री अंकुश बाघेला का मेरे पास न तो फोन कॉल आया है और न ही मैनें उनको फोन कॉल किया इसलिए मेरे उनसे सम्पर्क नहीं हुआ हैं । वक्त 1215 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा एसओ की उपस्थिति एवं वार्ता करने हेतु परिवादी श्री सुरेश यादव के मोबाईल नम्बर का स्पीकर ऑन करवाकर एसओ श्री अंकुश वाघेला पटवारी के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाकर वार्ता करवाने पर एसओं श्री अंकुश वाघेला पटवारी द्वारा अभी कैम्प में होकर व्यस्त होना एवं शाम 6-7 बजे को मिलने की बात कही गई। उक्त वार्ता को भी ब्यूरो के डीवीआर में मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। एवं परिवादी को हिदायत किया गया कि एसओ का जब भी फोन आये तुरन्त मेरे से सम्पर्क कर कार्यालय में उपस्थित आये तथा फोन नही आने की स्थिति में शाम को 6 बजे ब्यूरो में पुनः उपस्थित आने हेतु परिवादी को पाबन्द कर आवश्यक हिदायत के साथ रूखसत किया। वक्त 0630 पीएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री सुरेश यादव ब्यूरो चैकी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी तक पटवारी का फोन नहीं आया है। जिस पर श्री अंकुश वाघेला पटवारी के फोन कॉल आने का ब्यूरो चौकी में ही इंतजार किया गया। वक्त 0815 पी.एम.इस समय तक एसओं श्री अंकुश वाघेला पटवारी का परिवादी के पास फोन नहीं आने पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से उनके मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर श्री अंकुश वाघेला पटवारी के मोबाईल नम्बर पर व्हाटसएप्प वॉईस कॉल करवाया गया तो एसओ ने वार्ता के दौरान परिवादी को जालोरी गेट पास एमजीएच हॉस्पीटल के पीछे वाले गेट के पास मिलने के लिए बुलाया। वक्त 0825 पी.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के कानि. श्री गणेश कुमार को डीवीआर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री सुरेश यादव के साथ जाकर एसओ श्री अंकुश वाघेला पटवारी से रिश्वत राशिमांग की वार्ता करवाने हेतु आवश्यक हिदायत के साथ परिवादी के निजी वाहन से जालोरी गेट की तरफ रवाना किया गया। वक्त 0915 पी.एम. पर श्री गणेश कुमार कानि. व परिवादी श्री सुरेश यादव रिश्वत राशिमांग का सत्यापन करने हेतु जालोरी गेट जोधपुर गये हुए कार्यालय में उपस्थित आयें। तथा श्री गणेश कुमार कानि. ने डीवीआर मय मैमोरी कार्ड स्वीचऑफ शुदा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया तथा परिवादी ने बताया कि हम दोनों मेरे निजी वाहन से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर जालोरी गेट के पास एमजीएच अस्पताल के पिछले गेट से थोड़ा पूर्व पहुचें जहां पर श्री गणेश कुमार कानि. ने मेरे वाहन को रूकवाकर मुझे आवश्यक हिदायत कर साथ लाये डीवीआर मय मैमोरी कार्ड स्वीच ऑन कर मुझे सुपुर्द कर एसओ श्री अंकुश वाघेला पटवारी से वार्ता करने हेतु मेरे वाहन से मुझे रवाना किया तथा श्री गणेश कुमार अपनी उपस्थिति छिपाते हुए वहीं खडे़ रहे। मैं वहां से रवाना होकर एमजीएच अस्पताल के पिछले गेट पर पहुचां जहां पर कुछ देर इन्तजार करने के बाद पटवारी श्री अंकुष से मोबाईल पर वार्ता कर उनकी उपस्थिति के बारे में पूछा तो उन्होनें कहा कि मैं पहुचं ही रहा हूं। थोड़ी देर बाद श्री अंकुश वाघेला पटवारी अपनी मोटरसाईकिल से उक्त स्थान पर पहुचें तथा मेरी गाड़ी में बैठकर मेरे कार्य के सम्बन्ध में वार्ता की तथा मैनें मेरी 20 दुकानों की रजिस्ट्रीयों की छाया प्रतियां उनको पेश की। श्री अंकुश वाघेला पटवारी ने मेरे दस्तावेज प्राप्त

कर मेरे कार्य के बारे में पुनः वार्ता करते हुए कहा कि तहसीलदार साहब नहीं मान रहे है, तब मैनें राषि कम करने की विनती की तो श्री अंकुष बघेला ने कहा कि आप द्वारा पूर्व में बताई राशि के लगभग ही राशि देने को साहब ने कहा है जिस पर मैनें आरोपी अंकुश वाघेला पटवारी द्वारा पूर्व में बताई गई राशि के बारे में कहा गया कि 80 हजार, तो उन्होंने कहा कि हाँ इसमें बैठ जायेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी। तब मेरे द्वारा उनसे और राशि कम करने की विनती की गई तो श्री अंकुश वाघेला द्वारा अपने मोबाईल में 75 हजार टाईप कर कहा कि, हां यहां तक गुंजाईश रहेगी। साथ ही कहा कि इसके आसपास हो तो क्या दिक्कत है, अपने और भी तो काम पड़ेगें। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को ऑनकर रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुना गया तो परिवादी के बताये उपरोक्त तथ्यों की ताईद होकर एसओ श्री अंकुश बघेला पटवारी द्वारा परिवादी के 20 दुकानों का म्यूटेशन भरने की एवज में 75,000 रूपये बतौर रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई साथ ही एसओ द्वारा परिवादी को कहा गया कि आपके दस्तावेज साहब को दिखाकर जल्दी ही मैं आपको बताता हूं। एवं आपका काम पक्का हो जायेगा। यह मेरे को विश्वास है। तत्पश्चात् डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अलमारी में सुरक्षित रखा। ताबाद परिवादी को हिदायत किया गया कि एसओ श्री अंकुश बघेला पटवारी जब भी सम्पर्क करें तुरन्त मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित कर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आयें एवं परिवादी को आवश्यक गोपनीयता की हिदायत के साथ रवाना किया। दिनांक 04.07.2026 को वक्त 1210 पी.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने मोबाईल से जरिये व्हाटसएप्प वॉईस कॉल कर परिवादी श्री सुरेश यादव से पूछा गया कि एसओ श्री अंकुश पटवारी से सम्पर्क हुआ है तो परिवादी श्री सुरेश यादव ने बताया कि श्री अंकुश पटवारी का मेरे पास कोई फोन नहीं आया तथा नही सम्पर्क हुआ हैं। जिस पर परिवादी को हिदायत किया गया कि जब भी एसओ आपसे सम्पर्क करे तो मन निरीक्षक पुलिस को अवगत करावें। दिनांक 16.07.2026 को वक्त 0100 पी.एम.पर परिवादी श्री सुरेश यादव कार्यालय में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया तथा परिवादी ने बताया कि श्री अंकुश वाघेला पटवारी ने आज दिनांक 16.07.2026 को जरिये व्हाटसएप्प वॉईस कॉल कर कल दिनांक 17.07.2026 को प्रातः 10 बजे से पहले मिलने के लिए बुलाया है। तथा एसओ द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि वह कल प्राप्त कर सकता है। जिस पर उक्त कार्यवाही में दो स्वंतत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्रीमान अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड जोधपुर को जरिये व्हाटसएप्प वॉईस कॉल कर दो गवाह उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन करने पर उन्होनें कहा कि मैं एक गवाह श्री जगदीश नारायण व्यास वरिष्ठ सहायक को भिजवा रहा हूं। जिस पर दूसरे गवाह के लिए एईएन ए-7 आरटीओ ऑफिस जोधपुर फोन कर एक गवाह उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन करने पर उनके द्वारा श्री मोहनलाल मीणा तकनीशियन प्रथम को भिजवाने हेतु कहा गया तथा दोनों अधिकारियों ने भेजने वाले कार्मिकों के मोबाईल नम्बर अवगत करवाये गये। जिस पर दोनों अधिकारी के नाम गवाह उपलब्ध करवाने हेत पृथक पृथक तेहरीर जारी की गई। कार्मिक श्री जगदीश नारायण व्यास वरिष्ठ सहायक के मोबाईल नम्बर दूसरे कार्मिक श्री मोहनलाल मीणा तकनीषियन प्रथम के मोबाईल नम्बर पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कॉल कर कल दिनांक 17.07.2026 को प्रातः 0900 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय एसीबी एसयू जोधपुर में उपस्थित आने के लिए पाबन्द किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस दीगर राजकार्य में व्यस्त होनें के कारण अग्रिम कार्यवाही कार्यालय में उपस्थित श्री उमेश विश्नोई निरीक्षक पुलिस एसीबी एसयू जोधपुर को सुपुर्द करने का निर्णय लिया जाकर निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराया गया। तथा कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री सुरेश यादव एवं निरीक्षक पुलिस उमेश विश्नोई का आपस में परिचय करवाकर परिवादी द्वारा दिनांक 24.06.2026 को प्रस्तुत शिकायत निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर मेरे अलमारी में रखे डीवीआर मय मैमोरी कार्ड एवं एक अन्य मेमोरी कॉर्ड जिसमें वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन परिवादी व आरोपी की वार्ताऐं रिकॉर्ड है को सुरक्षित सम्भलाया गया एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। वक्त 0150 पी.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस परिवादी श्री सुरेश यादव एवं उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत ब्यूरो के डीवीआर मय मेमोरी कॉर्ड एवं एक अन्य मेमोरी कॉर्ड व परिवादी की शिकायत मय दस्तावेज साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया। तथा परिवादी की रिपोर्ट का पुनः तसल्ली से अवलोकन कर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि उक्त रिपोर्ट मेरे मित्र श्री पदमसिंह चारण से लिखवाई हैं जिस पर मेरे व श्री पदमसिंह चारण के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 24.06.2026 व 29.06.2026 को हुई वार्ता जो डीवीआर मय मेमोरी कॉर्ड एवं अन्य मेमोरी कॉर्ड में पृथक-पृथक रिकॉर्ड है को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये तथ्यों की ताईद होकर आरोपी श्री अंकुश वाघेला पटवारी द्वारा परिवादी श्री सुरेश यादव की 20 दुकानों की भूमि का म्यूटेशन भरने की एवज में 75,000 रूपये बतौर रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार आरोपी द्वारा परिवादी को कल दिनांक 17.07.2026 को बुलाया गया एवं रिश्वत राशि का आदान-प्रदान हो सकता है इसलिए परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 75,000 रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 17.07.2026 को प्रातः 0900 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने के लिए पाबंद कर रूखसत किया गया। दिनांक 17.07.2026 वक्त 0905 ए.एम.पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री सुरेश यादव व दो कार्मिक श्री जगदीश नारायण व्यास व श्री मोहनलाल मीणा ब्यूरो चौकी उपस्थित आये जिन्हें मन उमेश विश्नोई निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर तथा उपस्थित आये दोनों कार्मिकों से बारी-बारी उनका परिचय पूछने

पर एक ने अपना नाम जगदीश नारायण व्यास पुत्र श्री सत्यनारायण व्यास जाति ब्राह्मण उम्र 54 वर्ष पेशा सरकारी नौकरी निवासी चोपासनी गांव नियर मरूगढ जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधिषाशी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड जोधपुर मोबाईल नम्बर तथा दूसरे ने अपना नाम मोहनलाल मीणा पुत्र श्री लड़ूलाल मीणा जाति मीणा उम्र 42 साल पेशा सरकारी नौकरी निवासी गांव खाटुपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी पीएनटी कॉलोनी क्वार्टर नम्बर 9/4 टाईप दितीय शास्त्रीनगर जोधपुर हाल तकनीशियन प्रथम कार्यालय सहायक अभियंता ए-7 आरटीओ जोधपुर मोबाईल नम्बर होना बताया। जिस पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी सुरेश यादव व दोनों कार्मिकों का आपस में परिचय करवाकर दोनों कार्मिकों को परिवादी द्वारा दिनांक 24.06.2026 को प्रस्तुत शिकायत पढ़ाई गई एवं वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 24.06.2026 की व 29.06.2026 को परिवादी व एसओ श्री अंकुश बाघेला पटवारी के बीच हुई वार्ता जो ब्यूरो के डीवीआर में लगे मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड है के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। दोनों कार्मिकों द्वारा परिवादी से तसल्ली से पूछताछ कर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में स्वंतत्र गवाह रहने की मौखिक स्वीकृति दी गई। वक्त 0924 एएम पर उमेश विश्नोई निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सुरेश यादव के मोबाईल नम्बर से एसओ श्री अंकुश पटवारी के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाकर वार्ता करवाई गई । वार्ता के दौरान एसओ द्वारा परिवादी को करीब 1100 ए.एम. जालोरी गेट के पास एमजीएच हॉस्पीटल के पास बुलाया। वक्त 0940 ए.एम.पर उमेश विश्नोई निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री सुरेश यादव पुत्र श्री फूलचन्द जी यादव जाति यादव उम्र 43 वर्ष पैषा व्यवसाय निवासी बी 170 रिको आवासीय कॉलोनी बोरानाडा जोधपुर मोबाईल नम्बर द्वारा आरोपी श्री अंकुश बघेला पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि मन निरीक्षक पुलिस एसीबी एसयू जोधपुर के समक्ष पेश करने हेतु कहा गया। जिस पर परिवादी श्री सुरेश यादव ने प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 150 नोट, कुल राषि 75,000/-रूपये पेश किये। परिवादी श्री सुरेश यादव द्वारा प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द पेशकसी मे अंकित किये गए जिनका विवरण निम्नानुसार हें 01.500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 बी बी 121712, 02. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 पी डी 580979, 03.500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 डब्ल्यू जी 233082, 04. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 एच सी 459804,05. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 एस टी 037482, 06.500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 एस एन 732249, 07. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 के ए 583048, 08. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 यू एम 938136, 09. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 पी आर 016224 10. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 एम डब्ल्यू 078525, 11. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 एफ एफ 896858, 12. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 वी एम 465331, 13. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 के वी 998455, 14. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 एच एस 699910 ,15. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 बी एच 124119, 16. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 सी के 191785, 17. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 एन ई 665517, 18. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 ए एफ 697949, 19. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 क्यू बी 905893, 20. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 डब्ल्यू पी 879928, 21. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 ए एफ 437072, 22. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 के एन 591048, 23. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 एन वी 410588, 24. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 यू बी 825668, 25. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 सी टी 018636, 26. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 एन जी 375168, 27. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 डब्ल्यू पी 877998, 28. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 के एम 554686, 29. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 एस आर 920539, 30. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 बी बी 218852, 31. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 ई बी 855749, 32. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 यू वी 983444, 33. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 बी यू 186462, 34. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 डब्ल्यू एन 057194, 35. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 के टी 484769, 36. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 एच ए 665883, 37. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 पी एल 957898, 38. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 जी क्यू 777238, 39. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 यू एम 536676, 40. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 बी एल 783107, 41. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 एम ई 629324, 42. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 आर टी 869519, 43. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 क्यू ई 467325,44. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 वी सी 000396, 45. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 एफ वी 101079, 46. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 ई एस 488671, 47. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 एच डब्ल्यू 654733, 48. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 पी ई 246666, 49. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 बी क्यू 003569, 50. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 ए डब्ल्यू 219284, 51. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 ए एस 429139, 52. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 एस सी 233151, 53. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 एफ ई 341490, 54. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 क्यू सी 387103, 55. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 पी क्यू 593401, 56. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 एम ए 572456, 57. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 के ई 567818, 58. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 जी एच 696549, 59. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 एच टी 893553, 60. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 डी डी 618372, 61. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 डी एम 909363, 62. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 आर एल 957523, 63. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 एस एन

627218, 64. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 क्यू क्यू 822574, 65. 500 रूपये का एक नोट नम्बर7 सी टी 132670, 66. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 ए ई 994252, 67. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 एच सी 436722, 68. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 सी एच 477048, 69. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 एस पी 846015, 70. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 एफ आर 505690 ,71. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 एस डब्ल्यू 985248, 72. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 के एम 571331, 73. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 एच यू 084775, 74. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 बी एस 409738, 75. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 पी एल 953709, 76. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 ई आर 816393, 77. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 क्यू एफ 758515, 78. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 आर एस 105519, 79. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 टी एस 185104, 80. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 जी यू 114879, 81. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 जी यू 114876, 82. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 जी यू 114875, 83. 500 रूपये का एक नोट नम्बर जी यू 114874, 84. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 जी यू 114877 85. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 के ए 368054, 86. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 आर एम 483578, 87. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 पी ई 098730, 88. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 आर डब्ल्यू 115328, 89. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 वी डब्ल्यू 880009, 90. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 एच ए 417807, 91. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 एम के 147083, 92. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 जी पी 907077, 93. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 पी आर 822326, 94. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 डब्ल्यू टी 627239, 95. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 क्यू आर 593125, 96. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 ई एन 750992, 97. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 एम सी 716672, 98. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 ई एफ 955343, 99. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 एच डब्ल्यू 938113, 100. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 वी ई 032868, 101. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 आर एल 032048, 102. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 क्यू के 522571, 103. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 ए एल 515592, 104. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 जी पी 156224, 105. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 जी सी 664604, 106. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 के डब्ल्यू 854460, 107. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 डी एच 421361, 108. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 डब्ल्यू पी 741482, 109. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 एम एल 704630, 110. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 ए क्यू 982184, 111. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 जी आर 684392, 112. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 ए पी 656023, 113. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 वी सी 743401, 114. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 के बी 278915, 115. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 बी टी 708503, 116. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 एस बी 831299, 117. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 एन जी 559987, 118. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 एल डब्ल्यू 175708, 119. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 एल डब्ल्यू 175709, 120. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 वी एम 452782, 121. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 सी बी 297334, 122. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 एच एन 418573, 123. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 एफ यू 875503, 124. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 एम वी 115480, 125. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 ए एफ 422208, 126. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 के जी 253159, 127. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 ए एल 585097, 128. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 ई बी 214707, 129. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 एफ क्यू 912681 , 130. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 एफ डी 393427, 131. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 एल एफ 391222 132. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 एन बी 440463, 133. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 यू एस 327001, 134. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2 एस ई 996234 ,135. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 पी एफ 613633, 136. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 एच वी 592250, 137. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 डी एस 707829, 138. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 एम वी 471703, 139. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 सी एच 555902, 140. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5 पी सी 206361, 141. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 वी क्यू 090158, 142. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 डी एल 796488, 143. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6 सी डब्ल्यू 287078, 144. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 क्यू एम 062915, 145. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4 एस आर 463207, 146. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9 सी एफ 678136, 147. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 एस क्यू 433496, 148. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7 पी डी 979803, 149. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0 क्यू डी 480220, 150. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8 टी डब्ल्यू 787494 श्रीमती सुशीला महिला कानि. 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपरोक्त राशि 75,000/-रूपये के नोटों को श्रीमती सुशीला महिला कानि. को सुपुर्द कर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखवाकर, उन पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री सुरेश यादव की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मोहनलाल मीणा से लिरवाई जाकर उनका मोबाईल फोन एवं परिवादी के निजी वाहन की चाबी को उनके पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि परिवादी के पास नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 75,000/-रूपये जो राशि एसओ श्री अंकुश बघेला पटवारी को दी जानी है, चूंकि उक्त राशि

75,000 रूपये होकर नोटों का बन्डल बड़ा होने के कारण खुले में देने पर एसओ को शक होने की सम्भावना होने के कारण उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि के नोटों को एक लाल कलर की थैली जिस पर "एक दाम की दुकान नॉवल्टी शू पैलेस" लिखा हुआ है, में रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 150 नोट कुल राशि 75,000 रूपये को डालकर थैली पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया जाकर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त थैली को परिवादी के पास रखी एक अन्य साफ थैली में महिला कानि. श्रीमती सुशीला से ही रखवाया जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुरेश यादव को हिदायत दी गई कि इस रिश्वत राशि एवं रिश्वत राशि रखी फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त थैली को रास्ते में छुए नहीं तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही राशि थैली में से निकालकर उन्हें देवें यदि एसओ द्वारा थैली सहित राशि मांगी जावें तो फिनोफथलीन पाउडर युक्त थैली के साथ राशि देवें। तथा रिश्वत राशि लेन-देन होने के पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलावें । मन निरीक्षक पुलिस ने परिवादी को हिदायत की कि रिश्वत राशि का आदान-प्रदान हो जाने के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे दो बार हाथ फेरकर या मन निरीक्षक पुलिस पर मिस कॉल या कॉल कर रिश्वत राशि आदान-प्रदान होने का गोपनीय ईशारा करें। साथ ही परिवादी को हिदायत दी गई कि यदि एसओं रिश्वत राशि आपकी गाड़ी में बैठकर प्राप्त करता है तो, रिश्वत राशि लेन-देन के पश्चात आप अपनी गाड़ी की पार्किंग लाईट जलाकर रिश्वत राशि आदान-प्रदान होने का गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात् विधिवत धोवन लिये जाने का दृश्टान्त दिलवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफथलीन पाउडर की क्रिया-प्रतिक्रया समस्त हाजरीन को समझाईश की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि एवं दृष्टांत फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 1050 ए. एम.पर उमेश विश्नोई निरीक्षक पुलिस हमरा परिवादी श्री सुरेश यादव दोनों मौतबिरान श्री जगदीश नारायण व्यास , श्री मोहनलाल मीणा ब्यूरो जाब्ता श्री रामकिशोर एएसआई, श्रीमती मधुमति हैड कानि. श्री गणेश कुमार कानि., श्री देवाराम कानि. श्री प्रकाश कानि. श्री जगदीश कानि. मय ट्रेप बॉक्स एवं ट्रेप सामग्री के, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कॉर्ड के सरकारी एवं निजी वाहनों से जालोरी गेट जोधपुर की तरफ रवाना हुए। वक्त 1100 ए.एम.पर उमेश विश्नोई निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा एमजीएच हॉस्पीटल से थोड़ी दूर पहले पहुचें जहां पर एक तरफ वाहनों को रूकवाकर समस्त जाब्तें को ब्रीफ कर अलग-अलग वाहनों में तथा पैदल नियत स्थानों पर खड़े रहने हेतु निर्देशित कर साथ लाये डीवीआर में एक नया मेमोरी कॉर्ड डालकर डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को ऑनकर परिवादी को सुपुर्द कर, परिवादी श्री सुरेश यादव को अपने निजी वाहन से आरोपी श्री अंकुश बाघेला से सम्पर्क कर रिश्वत राशि आदान-प्रदान करने हेतु आवश्यक हिदायत के साथ रवाना किया तथा निरीक्षक पुलिस हमरा जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इंतजार में व्यस्त हुए। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति अपने मुंह पर मास्क लगाये एवं हाथ में हैलमेट लिये परिवादी की गाडी के पास आकर गाड़ी में बैठा तथा कुछ समय पश्चात् पुनः गाडी से बाहर निकलकर पैदल ही अपने रखी मोटरसाईकिल की तरफ रवाना हुआ। परिवादी द्वारा बिना कोई ईशारा किये अपने गाड़ी को रवाना कर एमजीएच हॉस्पीटल से ओलम्पिक रोड़ की तरफ रवाना हुआ। जिस पर निरीक्षक पुलिस हमरा गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता श्री रामकिशोर एएसआई व श्री गणेश कुमार कानि. के निजी वाहन से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुए। परिवादी ने सांघी पेट्रोल पम्प के पास जाकर एक तरफ अपनी गाड़ी खड़ी की। जिस पर निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के पास पहुंच कर उन्हें पूर्व में दिया गया डीवीआर मय मेमोरी कॉर्ड प्राप्त कर, स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि श्री अंकुश पटवारी ने मेरे से राशि प्राप्त नहीं कर शाम को मिलने के लिए कहा है तथा एडवान्स राशि साथ लेकर आने को कहा है। वक्त 1135 ए.एम. पर निरीक्षक पुलिस द्वारा समस्त जाब्ते को जरिये फोन एवं पास में उपस्थित परिवादी के साथ कानि. गणेश कुमार को बिठाकर दोनों को ब्यूरो चौकी पहुंचने के निर्देश दिये गये। ताबाद मन निरीक्षक पुलिस ब्यूरो जाब्ता सरकारी एवं निजी वाहन से ब्यूरो चौकी पहुचें। जहां पर महिला कानि. श्रीमती सुशीला से परिवादी को दिया गया रिश्वत राशि का थैली का पैकेट पुनः निकलवाया जाकर मन निरीक्षक पुलिस की अलमारी के एक कोने में सुरक्षित रखवाया गया एवं अलमारी को लॉक कर चाबी को मन निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखी गई। ताबाद परिवादी, गवाहान एवं समस्त जाब्ते को कार्यालय में ही मुकिम किया गया। वक्त 1150 ए.एम. पर उमेश विश्नोई निरीक्षक पुलिस के घर से जरिये फोन अवगत करवाया गया कि मेरी पुत्री की अचानक तबीयत खराब हुई जिस पर निरीक्षक पुलिस को उनके ईलाज के लिए घर जाना आवश्यक होने के कारण अब तक के समस्त हालात श्रीमान ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन कर अवकाश चाहा गया। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवकाश स्वीकृत फरमाकर अग्रीम कार्यवाही मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय में ही उपस्थित मन मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस की अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थिति प्राप्त कर बुलाने के मन्तव्य से अवगत करावकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशों से अवगत करवाकर परिवादी श्री सुरेश यादव व उपस्थिति गवाहान का मन निरीक्षक पुलिस का परिचय करवाकर, अब तक की समस्त कार्यवाही उन्हें बताकर परिवादी की रिपोर्ट सहित समस्त दस्तावेज, डीवीआर मय मेमोरी कॉर्ड एवं दो अन्य मेमोरी कॉर्ड जिनमें रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता एवं वक्त रिश्वत राशिलेन-देन के पूर्व की वार्ता रिकॉर्ड है को सुपुर्द कर साथ ही एसओ को दी जाने वाली फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 75,000 रूपये जो एक फिनोफथलीन पाउडर युक्त थैली में डालकर

रखी गई। उक्त रिश्वत राशि रखी थैली के पैकेट को एक साफ थैली में रखवाई गई निरीक्षक पुलिस की अलमारी में सुरक्षित रखी गई को सुरक्षित हालात में सम्भलाया जाकर अलमारी की चाबी मन मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द की गई। एवं निरीक्षक पुलिस कार्यवाही से पृथक हुआ। वक्त 1205 पी.एम. पर मन् मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त फिकरा के अनुसार प्रस्तावित अग्रीम ट्रेप कार्यवाही अपने जिम्मे लेकर समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन करने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के लिए आवश्यक दिशा निर्देश फरमाये गये। तत्पश्चात् मन निरीक्षक पुलिस उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री सुरेश यादव को अपना परिचय देकर उनसे परिचय प्राप्त कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही मन निरीक्षक पुलिस द्वारा करने के बारे में अवगत करवाकर, परिवादी श्री सुरेश यादव से वक्त रिश्वत राशि लेन-देन हुई वार्ता के बारे में पूछने पर परिवादी सुरेश यादव ने बताया कि श्री अंकुश पटवारी ने मेरे से राषि प्राप्त नहीं कर शाम को मिलने के लिए कहा है तथा एडवान्स राशि साथ लेकर आने को कहा है। जिस पर समस्त जाब्ते एवं गवाहन एवं परिवादी को ब्यूरो कार्यालय में ही मुकिम रखकर परिवादी को हिदायत की कि आरोपी का अगर फोन आता है तो मुझे तुरन्त अवगत करावें। तत्पश्चात् मन निरीक्षक पुलिस श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार दीगर राजकार्य में व्यस्त हुआ। वक्त 0115 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व में वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 24.06.2026 एवं 29.06.2026 को परिवादी एवं आरोपी श्री अंकुश पटवारी के मध्य हुई वार्ता जो अलग-अलग मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड है तथा वक्त रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व आज दिनांक 17.07.2026 को हुई वार्ता डीवीआर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है जो मेमोरी कॉर्ड एवं डीवीआर मय मेमोरी कॉर्ड मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखे हुए है। जिनकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब की जाना पेश है चूंकि परिवादी के बताये अनुसार रिश्वत राशि लेन-देन शाम को होना है तथा अभी शाम होने में समय है इसलिए मन निरीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 24.06.2026 को परिवादी सुरेश यादव एवं सह परिवादी श्री पदमसिहं चारण तथा एसओ श्री अंकुश बघेला पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब करने का निर्णय लिया जाकर मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखे रिश्वत राशि मांग सत्यापन प्रथम रिकॉर्ड वार्ता का मूल मेमोरी कॉर्ड को दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में, श्री गणेश कुमार कानि. नम्बर 219 से एक अन्य डीवीआर में डालकर, डीवीआर मय मेमोरी कॉर्ड को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मन निरीक्षक पुलिस के निर्देशन एवं मौजूदगी में लेपटॉप के माध्यम से सुन-सुन कर, समझ-समझ कर, शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशिमांग सत्यापन प्रथम वार्ता मुर्तिब की गई। रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री सुरेश यादव ने अपनी स्वयं की तथा अन्य आवाज में सह परिवादी श्री पदमसिंह चारण तथा आरोपी श्री अंकुश बघेला पटवारी पटवार मण्डल बम्बोर की होने की पहचान की गई। तत्पष्चात उक्त रिकॉर्ड हुई वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड की लेपटॉप के माध्यम से हैज वैल्यू निकाली जाकर फर्द पर अंकित की जाकर, फर्द पर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त रिकॉर्ड वार्ता के दो डब पेन ड्राईव तैयार करवाये गये जो खुली हालत में रखे गये। मूल मेमोरी कॉर्ड को एक प्लास्टिक के कवर में डालकर, प्लास्टिक के कवर सहित मूल मेमोरी कॉर्ड को एक कपड़े की थैली में डाला गया उक्त थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, थैली को शील्ड मोहर कर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने तथा सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर, दोनों डब पेन ड्राईव तथा शील्ड शुदा मूल मेमोरी कॉर्ड के थैली के पैकेट को मालखाना प्रभारी श्रीमती मधुमति हैड कानि. नम्बर 89 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। वक्त 0320 पी.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा मेमोरी कॉर्ड जिसमें दिनांक 29.06.2026 को परिवादी श्री सुरेश यादव एवं आरोपी श्री अंकुश बघेला, पटवारी के मध्य रिश्वत राशिमांग सत्यापन द्वितीय से पूर्व मोबाईल फोन पर हुई वार्ता एवं रूबरू वार्ता के मेमोरी कॉर्ड को दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में बाहर निकालकर, श्री गणेश कुमार कानि. नम्बर 219 से एक अन्य डीवीआर में डालकर, डीवीआर मय मेमोरी कॉर्ड को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मन निरीक्षक पुलिस के निर्देशन एवं मौजूदगी में लेपटॉप के माध्यम से सुन-सुन कर, समझ-समझ कर, शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत राशिमांग सत्यापन पूर्व टेलीफोनिक वार्ता एवं वक्त रिश्वत राशि सत्यापन हुई द्वितीय वार्ता मुर्तिब की गई। रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज की पहचान परिवादी श्री सुरेश यादव ने अपनी तथा एक अन्य आवाज आरोपी श्री अंकुश बघेला पटवारी पटवार मण्डल बम्बोर की होने की पहचान की गई। तत्पश्चात् उक्त रिकॉर्ड हुई वार्ता के मूल मेमोरी कॉर्ड की लेपटॉप के माध्यम से हैज वैल्यू निकाली जाकर फर्द पर अंकित कर, फर्द पर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर किये गये। उक्त वार्ता के दो डब पेन ड्राईव तैयार करवाये जाकर मूल मेमोरी कॉर्ड को एक प्लास्टिक के कवर में डालकर, प्लास्टिक के कवर सहित मूल मेमोरी कॉर्ड को एक कपड़े की थैली में डाला गया, तथा उक्त थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, थैली को शील्ड मोहर कर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने तथा सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। दोनों डब पेन ड्राईव तथा शील्ड शुदा मूल मेमोरी कॉर्ड के थैली के पैकेट को मालखाना प्रभारी श्रीमती मधुमति हैड कानि. नम्बर 89 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। वक्त 0720 पी.एम.पर एसओ श्री अंकुश बघेला पटवारी का वाटसअप फोन कॉल परिवादी के फोन पर आया तथा आरोपी द्वारा परिवादी को शीघ्र ही जालोरी गेट के पास एमजीएच हास्पीटल के पिछले गेट के सामने बुलाया। वक्त 0725 पी.एम. पर मन् मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान परिवादी श्री सुरेश यादव की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश नारायण व्यास से लिरवाई जाकर उनके पास कोई संदिग्ध राशि,

वस्तु आदि नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात् कार्यालय की अलमारी में रखी फिनोफथलीन पाउडर लगे थैली में रखी फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 75,000 रूपये को परिवादी की साफ थैली में लपेटकर रखी हुई है के पैकेट को यथास्थिति में श्रीमती सुशीला महिला कानि. से परिवादी श्री सुरेश यादव को सुपुर्द करवाई गईं तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि व रिश्वत राशि रखी फिनोफथलीन पाउडर युक्त थैली को रास्ते में नहीं छुए तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि थैली में से निकालकर या फिनोफथलीन पाउडर युक्त थैली सहित उन्हें देवें । ताबाद परिवादी श्री सुरेश यादव व श्री गणेश हमरा परिवादी श्री सुरेश यादव दोनों मौतबिरान श्री जगदीश नारायण व्यास, श्री मोहनलाल मीणा ब्यूरो जाब्ता श्री रामकिशोर एएसआई, श्री मेघराज एएसआई, श्रीमती मधुमति हैड कानि. श्री गणेश कुमार कानि., श्री देवाराम कानि. श्री प्रकाश कानि. श्री जगदीश कानि. मय ट्रेप बॉक्य एवं ट्रेप सामग्री के, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सरकारी एवं निजी वाहनों व निजी मोटरसाईकिल से जालोरी गेट जोधपुर की तरफ रवाना हुए। वक्त 0735 पी.एम.पर मन मनीष चौधरी निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा एमजीएच हॉस्पीटल से थोड़ी दूर पहले पहुचें जहां पर एक तरफ वाहनों को रूकवाकर समस्त जाब्तें को ब्रीफ कर अलग-अलग वाहनों में तथा पैदल नियत स्थानों पर खड़े रहने हेतु निर्देशित कर साथ लाये डीवीआर मय मेमोरी कॉर्ड को ऑनकर परिवादी को सुपुर्द कर, परिवादी श्री सुरेश यादव को अपने निजी वाहन से आरोपी श्री अंकुश बाघेला से सम्पर्क कर रिश्वत राशि आदान-प्रदान करने हेतु आवश्यक हिदायत के साथ एमजीएच हॉस्पीटल के गेट की तरफ रवाना किया तथा मन निरीक्षक पुलिस हमरा जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के पास आरोपी के आने के इंतजार में व्यस्त हुए। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति अपने हाथ में हैलमेट लिये परिवादी की गाडी के पास आकर परिवादी की गाड़ी में आगे की ड्राईवर के पास वाली सीट पर बैठा। जिस मन निरीक्षक पुलिस हमरा जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान परिवादी के गोपनीय ईशारे के इंतजार में व्यस्त हुए। वक्त 0748 पी.एम. पर रूबरू उपरोक्त मौतबिरान के परिवादी श्री सुरेश यादव ने पूर्व से निर्धारित ईशारा अपनी कार में बैठे हुए गाड़ी की पार्किंग लाईट लगाकर ईशारा करने पर मन निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायन को साथ लेकर दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के गाड़ी के पास पहुंचने का ईशारा कर कार के पास पहुंचें। जहां पर परिवादी की कार में ड्राईवर वाली सीट के पास आगे वाली सीट पर एक व्यक्ति काले रंग की टी शर्ट एवं नीले रंग की जिन्स पेन्ट पहने हुए तथा अपने हाथ में एक हैलमेट लिये हुए बैठा मिला। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान परिवादी की गाड़ी की आगे की फाटक खोलकर परिवादी को पूर्व में दिये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को प्राप्त कर स्वीचऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात सीट पर बैठे व्यक्ति को मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना, मौतबिरान एवं जाब्ते का परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत करवाकर सीट पर बैठे व्यक्ति से परिचय पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम अंकुश बाघेला पुत्र श्री कैलाश बाघेला जाति मेघवाल उम्र 29 वर्ष पैशा सरकारी नौकरी निवासी बाईजी का तालाब जालोरी गेट जोधपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल पोपावास जोधपुर अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल बम्बोर तहसील एवं जिला जोधपुर होना बताया। जिस पर संदिग्ध कर्मचारी श्री अंकुश पटवारी से परिवादी श्री सुरेश यादव की तरफ ईशारा कर पूछा गया कि क्या आपने अभी इनसे कोई राशि प्राप्त की है जिस पर आरोपी श्री अंकुश बाघेला ने कहा कि मैनें कोई राशि प्राप्त नहीं की है। इन्होनें ही एक थैली का पैकेट मेरे हैलमेट में रखा है। जिस पर पास बैठे परिवादी ने कहा कि श्री अंकुश बाघेला पटवारी झूठ बोल रहे है। उक्त स्थान आम रोड़ होकर भीड-भाड का क्षेत्र होने तथा भीड़ इक्कठी हो जाने के कारण अग्रीम कार्यवाही पास ही स्थित पुलिस चौकी महात्मा गांधी अस्पताल, पुलिस थाना सरदारपुरा में करने का निर्णय लेकर आरोपी श्री अंकुश बाघेला पटवारी को हैलमेट सहित जिसमें राशि की थैली रखी हुई को साथ लेकर गाडी की पीछे वाली सीट पर बैठाया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से दोनों तरफ गवाह व जाब्ते को बिठाया जाकर मन निरीक्षक पुलिस परिवादी की गाड़ी से ही एमजीएच पुलिस चौकी के लिए रवाना होते हुए अन्य जाब्ते को पुलिस चौकी पहुंचनें हेतु निर्देशित किया गया एवं मन निरीक्षक पुलिस हमरा जाब्ता गवाहान एवं दस्तयाब शुदा आरोपी श्री अंकुश पटवारी के परिवादी की गाडी से पुलिस चौकी एमजीएच पहुचां एवं सरकारी गाड़ी मय जाब्ता जिसमें ट्रेप बॉक्स आदि समान रखा हुआ को शीघ्र पुलिस चौकी एमजीएच पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात चौकी भवन में प्रवेश होकर चौकी पर उपस्थित श्री धर्म मीणा कानि. नम्बर 2786 से मौखिक स्वीकृति लेकर चौकी भवन में बने एक कमरे अग्रीम कार्यवाही करना प्रारम्भ किया गया। आरोपी श्री अंकुश बाघेला पटवारी को पुनः परिवादी की तरफ ईशारा कर उसे जानने व उनसे कोई राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा गया तो उसने पूर्व के कथनों की पूनरावर्ती करते हुए कहा कि मैं इन्हें जानता हूं। ये श्री सुरेश यादव है जिन्होनें बम्बोर स्थित 20 दुकानों की भूमि श्री पन्नेसिंह राजपुरोहित से खरीद की है। जिसकी इन्होनें मुझे रजिस्ट्री की प्रतियां म्यूटेशन भरवाने के लिए दे रखी है। मैनें इनसे कोई राशि प्राप्त नहीं की हैं इन्होनें ही मेरे हाथ में ले रखे मेरे हैलमेट में, एक थैली का पैकेट रखा है। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री सुरेश यादव ने आरोपी के उक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि श्री अंकुश पटवारी जी झूठ बोल रहे है। इन्होनें मेरी खरीद की गई 20 दुकानों का म्यूटेशन भरने की एवज में 1,00,000 रूपये रिश्वत के तौर पर मांग की गई थी। मेरे द्वारा राशि कम करने का निवेदन करने पर यह 75,000 रूपये लेने के लिए सहमत हुए जो इनके द्वारा मांगने पर एवं उक्त राशि अपने हैलमेंट में रखने का कहने पर मेरे द्वारा अपनी थैली में रखे रिश्वती राशि 75,000 रूपये रखी फिनोफथलीन पाउडर युक्त थैली को हैलमेट में रखी जो अभी भी इनके हैलमेंट में है। तथा

इन्होनें आज राशि प्राप्त करते हुए मेरे से कहा कि तहसीलदार साहब नहीं मान रहे है। इसलिए 1,50,000 रूपये देने पड़ेंगें। मेरे द्वारा राशि कम करने की विनती करने पर यह अपने व तहसीलदार के लिए 1,20,000 रूपये लेने के लिए सहमत हुआ। तथा शेष राशि सोमवार को म्यूटेशन भरने के बाद देने की बात कही है। जिस पर आरोपी श्री अंकुश पटवारी से राशि किसके लिए प्राप्त की गई के बारे में पूछने पर उसने पहले राशि लेने से मना किया फिर कहा कि मैनें श्री के.पी. सिंह तहसीलदार जोधपुर के कहने पर रिश्वत राशि प्राप्त की। जिस पर आरोपी श्री अंकुश पटवारी के मोबाईल नम्बर का स्पीकर ऑन करवाकर श्री के.पी. सिंह तहसीलदार के मोबाईल नम्बर पर वाटसअप वॉईस कॉल कर दो-तीन बार वार्ता करवाने का प्रयास किया गया मगर तहसीलदार का उक्त फोन रिसीव नहीं हुआ। तथा कुछ समय पश्चात स्वीचऑफ होना ज्ञात हुआ। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपी श्री अंकुश बाघेला पटवारी का निवास स्थान का पूर्ण पता ज्ञात कर ब्यूरो की दूसरी टीम के प्रभारी श्री किशनसिंह उप अधीक्षक पुलिस को आरोपी का निवास पता बताकर उच्च अफसरान के निर्देशानुसार रहवासीय मकान की खाना तलाशी लेने हेतु अनुरोध किया गया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा सरकारी वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर आरोपी श्री अंकुश बाघेला पुत्र श्री कैलाश बाघेला जाति मेघवाल उम्र 29 वर्ष पैशा सरकारी नौकरी निवासी बाईजी का तालाब जालोरी गेट जोधपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल पोपावास जोधपुर अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल बम्बोर तहसील एवं जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री सुरेश यादव से रिश्वत राशि मांगकर, रिश्वत राशि 75,000 रूपये के फिनोफथलीन पाउडर युक्त थैली के पैकेट को अपने साथ लाये हैलमेट के अन्दर परिवादी से रखवाई गई। उक्त रिश्वत राशि बरामदगी स्थल हैलमेट का अन्दर का धोवन लेने की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए ट्रैप बॉक्स में से एक प्लास्टिक डिस्पोजल की साफ गिलास निकलवा कर, गिलास में साफ पीने का पानी भरवाया जाकर उक्त साफ पानी में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार किया गया तो गिलास के घोल का रंग, रंगहीन रहा। जिस पर हैलमेंट में रखी रिश्वत राशि के थैली के पेकेट को गवाह श्री जगदीश नारायण व्यास से ही निकलवाया जाकर उनके पास सुरक्षित रखवाया गया। एवं ट्रेप बॉक्स में से एक कपड़े की साफ चिन्दी निकालकर, रिश्वती राशि बरामदगी स्थल आरोपी श्री अंकुश पटवारी के हैलमेंट के अन्दर के भाग पर कपडे की साफ चिन्दी को तीन-चार बार रगडकर डिस्पोजल गिलास में तैयार सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी घोल को दो कांच की अलग-अलग शिशियों में आधा-आधा भरकर चस्यों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क एच-1, एच-2 अंकित कर शिशियों को शील्ड मोहर किया गया। एवं मन निरीक्षक पुलिस द्वारा चस्यों पर अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उपरोक्त धोवन में प्रयुक्त की गई डिस्पोजल गिलास को कार्यालय के डस्टबिन में डलवाया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि बरामदगी स्थल का घोवन लेने में उपयोग में ली गई कपडे की चिन्दी को सुखोकर, मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर चिन्दी को एक कपडे की थैली में डालकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, थैली को शील्ड मोहर किया गया। एवं थैली पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगण से हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात गवाह श्री जगदीश नारायण व्यास से उनके पास रखवाये थैली के पैकेट की तलाशी लिरवाई गई तो उसमें रखा एक 500-500 रूपये का बन्डल मिला। उक्त राशि को गवाह श्री जगदीश नारायण व्यास से ही गिनवाने पर कुल राशि 75,000 रूपये होना पाई गई। उक्त राशि गवाह श्री मोहनलाल मीणा को सुपुर्द की गईं एवं गवाह श्री जगदीश नारायण व्यास को पूर्व में मुर्तिबा शुदा फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट सुपुर्द कर फर्द में अंकित रिश्वत राशि के नोटों के नम्बर बोल-बोल कर मिलान करवाने पर बरामदगी रिश्वत राशि के नोटों के नम्बर हूबहू होना पाये गये। उक्त बरामद हुए भारतीय मुद्रा के 75,000 रूपये रिश्वत राशि के नोटों को बतौर वजह सबूत कपडे के एक टुकड़े के साथ शील्ड चिट कर चिट पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात जिस थैली में रिश्वती राशि रखी हुई है को आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगकर, रिश्वत राशि रखी फिनोफथलीन पाउडर युक्त को अपने हैलमेंट में रखवाया गया। उक्त लाल कलर की एक थैली जिस पर एक दाम की दुकान नॉवल्टी शू पैलेस लिखा हुआ है पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बधितगण के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में डालकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर शील्ड मोहर किया गया। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा जिस हैलमेट के अन्दर रिश्वत राशि 75,000 रूपये रखी थैली का पैकेट बरामद हुआ। उस हैलमेंट के अन्दर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर हैलमेंट का एक कपडे की थैली में डालकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, थैली को शील्ड मोहर किया गया। एवं मन निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री अंकुश बाघेला पटवारी की स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश नारायण व्यास वरिष्ठ सहायक से आरोपी श्री अंकुश बाघेला, पटवारी की जामा तलाशी लिरवाने पर पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखे 500-500 रूपये के 18 नोट कुल राशि 9000 रूपये तथा एक पांच रूपये का सिक्का मिला जिसके बारे में आरोपी श्री अंकुश पटवारी से पूछने पर बताया कि उक्त राशि मेरी माता जी ने सुबह मुझे दी थी जो राशि घर पर करवाये जा रहे रंग रोगन के लिए कलर खरीदने हेतु दिये थे।

आरोपी श्री अंकुश पटवारी का उक्त जवाब संतोषप्रद होने पर उक्त राशि 9005 रूपये को आरोपी को पुनः लौटाई गई। उक्त राशि के अलावा उक्त पेन्ट की उसी जेब में एक ड्यूल सिम मोबाईल फोन काले रंग, रेडमी कम्पनी का तथा जिसमें एक सिम जीओ कम्पनी की जिसके नम्बर तथा दूसरी सिम आईडिया कम्पनी की जिसके नम्बर होना पाये गये तथा फोन के आईएमईआई नम्बर है। उक्त मोबाईल फोन को स्वीच ऑफ कर वजह सबूत खुली हालत में कब्जा एसीबी लिया गया। जामा तलाशी में ही जिन्स पेन्ट की आगे की जेब में एक चाबी छल्ला जिसमें अन्य चाबियों के साथ ही एक मोटरसाईकिल की चाबी होना पाई गई। जिसे भी आरोपी को पुनः लौटाई गई। तत्पश्चात आरोपी श्री अंकुश बाघेला पटवारी से परिवादी श्री सुरेश यादव की 20 दुकानें के विक्रय विलेख की प्रतियां आदि जो आरोपी द्वारा वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन परिवादी से म्यूटेशन भरने के लिए प्राप्त की गई थी, के बारे में पूछने पर उसने बताया कि श्री सुरेश यादव द्वारा दिये गये विक्रय विलेख की प्रतियां मेरे पावटा स्थित कार्यालय में पड़ी है। जो आईन्दा पृथक से जरिये फर्द जब्त की जावेगी। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री अंकुश बाघेला पुत्र श्री कैलाश बाघेला जाति मेघवाल उम्र 29 वर्ष पैशा सरकारी नौकरी निवासी बाईजी का तालाब जालोरी गेट जोधपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल पोपावास जोधपुर अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल बम्बोर तहसील एवं जिला जोधपुर ने परिवादी श्री सुरेश यादव द्वारा गांव बम्बोर में क्रय की गई 20 दुकानों का म्यूटेशन भरने के लिए वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन 1,00,000 रूपये बतौर रिश्वत मांग करना एवं परिवादी द्वारा विनती करने पर 75,000 रूपये बतौर रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत होना एवं आज दिनांक 17.07.2026 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन परिवादी से पूर्व में तय की गई 75,000 रूपये रिश्वत राशि मांगकर, 75,000 रूपये रिश्वत राशि के थैली के पैकेट को अपने हैलमेंट के अन्दर रखवाना जहां से रिश्वती राशि बरामद होना आदि आपराधिक कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित करना पाया गया जिन्हें पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया जावेगा। उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से करवाई गई। जिसका आईन्दा पेन ड्राईव तैयार किया जायेगा। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही आरोपी श्री अंकुश वाघेला पटवारी पटवार मण्डल पोपावास जोधपुर अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल बम्बोर तहसील एवं जिला जोधपुर की मुर्तिब की जाकर फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिग नोट की गई। वक्त 1110 पी.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री अंकुश वाघेला पुत्र श्री कैलाश बाघेला जाति मेघवाल उम्र 29 वर्ष पेशा सरकारी नोकरी निवासी बाईजी का तालाब जालोरी गेट जोधपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल पोपावास जोधपुर अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल बम्बोर तहसील एवं जिला जोधपुर को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर फर्द गिरफ्तारी के आधार एवं जमानत के अधिकारी की सूचना धारा 36(ग), 38 एवं 47 बीएनएसएस 2023 के तहत दी गई। एवं धारा 35(1)(ख)(2) बीएनएसएस 2023 के तहत चैक लिस्ट तैयार की गई एवं धारा 48 बीनएसएस 2023 के तहत नामित व्यक्ति उनके पिता श्री कैलाश बाघेला को सूचित किया गया एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के तहत गिरफ्तारी मीमो तैयार कर रूबरू स्वतंत्र मौतबिरान के गिरफ्तार किया गया। वक्त 1155 पी.एम.पर रात्रि हो जाने के कारण घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका कल दिनांक 18.07.2026 को मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। ताबाद मन निरीक्षक पुलिस हमरा गिरफ्तार शुदा मुल्जिम श्री अंकुश वाघेला पटवारी फर्दात अनुसार मालखाना आईटम एवं बरामदा रिश्वती राशि, लिये गये प्रादर्ष शील्ड शुदा, डीवीआर मय मेमोरी कॉर्ड तथा ट्रेप बॉक्स एवं ट्रेप सामग्री के मय समस्त ब्यूरो जाब्ता, परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र मौतबिरान के निजी, सरकारी वाहन एवं निजी मोटरसाईकिल से पुलिस चौकी महात्मा गांधी जोधपुर से ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना हुआ। दिनांक 18.07.2026 वक्त 0025 ए.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा हमरा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री अंकुश वाघेला पटवारी ब्यूरो जाब्ता एवं दोनों स्वतंत्र गवाह के ब्यूरो चौकी एसयू जोधपुर पहुचा तथा फर्दात अनुसार मालखाना आईटम प्रकरण में रिश्वत राशि बरामदगी स्थल आरोपी श्री अंकुश वाघेला पटवारी के हैलमेंट के अन्दर के लिये गये धोवन की शील्ड शुदा शीशीयां क्रमशः एच-1, एच-2, रिश्वती राशि बरामदगी स्थल का धोवन लेने में उपयोग में ली गई कपड़े की चिन्दी का एक कपडे़ की थैली में शील्ड शुदा पैकेट,बरामदा रिश्वत राशि75,000 रूपये एक कपड़े के टुकडे़ में शील्ड चिट शुदा, आरोपी श्री अंकुश पटवारी के हैलमेट के अन्दर रिश्वत राशि 75,000 रूपये जिस फिनोफथलीन पाउडर युक्त थैली में बरामद हुई, उक्त थैली का कपडे़ की थैली में शील्ड शुदा पैकेट,जिस फिनोफथलीन पाउडर युक्त की थैली जिसमें फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशिरखी बरामद हुई उक्त थैली का एक कपड़े की थैली में शील्ड शुदा पैकेट, आरोपी का हैलमेट जिसके अन्दर फिनोफथलीन पाउडर युक्त थैली में रखी फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 75,000 रूपये बरामद हुई उक्त हैलमेट का एक कपड़े की थैली में शील्ड शुदा पैकेट,आरोपी की जामा तलाशी में मिला एक ड्यूल सिम मोबाईल फोन काले रंग, रेडमी कम्पनी का तथा जिसमें एक सिम जीओ कम्पनी की जिसके नम्बर तथा दूसरी सिम आईडिया कम्पनी की जिसके नम्बर होना पाये गये तथा फोन के आईएमईआई नम्बर 1. को खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्रीमती मधुमती हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। मन निरीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर मय मेमोरी कार्ड जिसमें वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के पूर्व एवं वक्त रिश्वत राशि लेन-देन हुई रूबरू वार्ता के डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के एक लिफाफे में डालकर

अपनी अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। वक्त 0045 ए.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को आज दिनांक 18.07.2026 को प्रातः 0700 ए.एम. पर ब्यूरो चौकी में उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रूखसत किया गया। वक्त 0050 ए.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा गिरफ्तार शुदा श्री अंकुश पटवारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु चिकित्सा अधिकारी सैटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर के नाम तेहरीर क्रमांक 1219 दिनांक 18.07.2026 एवं पुलिस थाना उदयमंदिर जोधपुर के हवालात में सुरक्षित रखने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमंदिर जोधपुर के नाम तेहरीर क्रमांक 1220 दिनांक 18.07.2026 जारी कर गिरफ्तार शुदा मुल्जिम को बाद स्वास्थ्य परीक्षण करवाने तथा सुरक्षित हवालात में जमा करवाने हेतु श्री अयूब खां उप निरीक्षक पुलिस हमारा श्री श्री देवाराम कानि. को हमरा गिरफ्तार शुदा मुल्जिम के सरकारी वाहन मय चालक प्रेमसिह के रवाना किया गया। वक्त 0200 ए.एम.पर श्री अयूब खां उप निरीक्षक पुलिस आरोपी के स्वास्थ्य का परीक्षण करवाकर पुलिस थाना उदयमंदिर की हवालात में जमा करवाकर उपस्थित आये तथा बताया कि आपके निर्देशानुसार श्री देवाराम कानि. को रात्रि निगरानी ड्यूटी हेतु मामुर किया। तत्पश्चात् आरोपी के स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल रंनिग नोट किया गया वक्त 0810 ए.एम.पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री सुरेश यादव एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जगदीश नारायण व्यास वरिष्ठ सहायक एवं श्री मोहनलाल मीणा तकनीशियन प्रथम ब्यूरो चौकी उपस्थित आये। वक्त 0815 ए.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में दिनांक 17.07.2026 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व परिवादी श्री सुरेश यादव्र तथा आरोपी श्री अंकुश बघेला पटवारी के मध्य हुई रूबरू वार्ता एवं वक्त रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू वार्ता जो डीवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है उक्त डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मन निरीक्षक पुलिस के पास एक लिफाफे में डालकर सुरक्षित रखा गया है अलमारी में सुरक्षित रखा गया है को रूबरू गवाहान परिवादी की उपस्थिति में बाहर निकालकर, डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को श्री गणेश कुमार कानि. नम्बर 219 से कार्यालय के लेपटॉप से जुड़वाकर मन निरीक्षक पुलिस के निर्देशन एवं मौजूदगी में रिकॉर्ड वार्ता को सुन-सुन, समझ-समझ हूबहू फर्द ट्रान्सक्रिप्ट वक्त रिश्वत राशि लेन-देन पूर्व रूबरू वार्ता एवं वक्त रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता मुर्तिब की गई एवं मूल मैमोरी कार्ड की लेपटॉप के माध्यम से हैज वैल्यू निकलवाई जाकर फर्द में अंकित करवाई गईं। फर्द पर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री सुरेश यादव ने स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री अंकुश पटवारी की होने की पहचान की गई। उक्त मूल मैमोरी कार्ड से ही लेपटॉप के माध्यम से दो पेन ड्राईव तैयार किये गये जो डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड को एक कपड़े की थैली में डालकर, थैली को शील्ड मोहर किया। थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। शील्ड शुदा मूल मेमोरी कार्ड एवं डब दो पेन ड्राईव खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गयें। वक्त 1025 ए.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस हमरा परिवादी श्री सुरेश यादव एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जगदीश नारायण व्यास एवं श्री मोहनलाल मीणा को साथ लेकर मय सरकारी वाहन चालक श्री प्रेमसिंह के घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्षा मौका मुर्तिब करने हेतु महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रवाना हुआ। वक्त 1032 ए.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस उपरोक्त समस्त हमरायान के घटनास्थल महात्मा गांधी अस्पताल का पिछला गेट ओलिंपिक से जालोरी गेट जाने वाली रोड जोधपुर पर पहुंचा, जहा पर रूबरू मोतबीरान परिवादी की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा घटना स्थल एवं हालात मौका मुर्तिब किया जाकर शामिल रनिंग नोट किया गया। वक्त 1100 ए.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा समस्त हमारायान ब्यूरो चौकी एसयू जोधपुर पहुचां। वक्त 1140 ए.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस हमरा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के सरकारी वाहन से चौकी से रवाना हो पटवारी श्री अंकुश बाघेला के कार्यालय की चाबी मन निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित है उनके पावटा स्थित कार्यालय से उनकी उपस्थिति में परिवादी के पेडिंग कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज 20 दुकानों की भूमि की विक्रय विलेख की छायाप्रतियों को जब्त करने हेतु आरोपी को उदयमंदिर से सुरक्षित हालत में प्राप्त करने के लिए ब्यूरो चौकी से रवाना हुआ। वक्त 1150 ए. एम. पर मन निरीक्षक पुलिस हमरा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के रवाना शुदा पुलिस थाना उदयमंदिर पहुचं, आरोपी श्री अंकुश बाघेला पटवारी को पुलिस थाना उदयमंदिर आयुक्तालय जोधपुर से प्राप्त कर उनके कार्यालय पटवार मण्डल पोपावास के लिए रवाना हुआ। वक्त 1204 पी.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस हमरा गिरफ्तार शुदा मुल्जिम श्री अंकुश बाघेला पटवारी दोनों स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो जाब्ता के रखाना शुदा आरोपी के बताये अनुसार पावटा चौराहे के पास स्थित उनके पटवार कार्यालय पोपावास के लिए रवाना हुआ। वक्त-1210 पी.एम.पर मन निरीक्षक हमरा गिरफ्तार शुदा मुल्जिम अंकुश बाघेला पटवारी दोनों स्वतंत्र गवाह ब्यूरो जाब्ता के कार्यालय पटवार मण्डल पोपावास जनगणना भवन नम्बर 04 पर पहुंचें। जहां पर मन निरीक्षक पुलिस के पास रखी उनके कार्यालय की चाबी से रूबरू गवाहान आरोपी को चाबीयों का गुच्छा सुपुर्द कर लॉक खुलवाया गया तथा आरोपी श्री अंकुश बाघेला पटवारी ने अपने कार्यालय में प्रवेश कर रूबरू गवाहान अपने टेबल कुर्सी के पास ही दीवार में बनी खुली अलमीरा में अन्य रिकॉर्ड के साथ ही एक पॉलीथीन की थैली में परिवादी श्री सुरेश यादव द्वारा क्रय की गई 20 दुकानों की भूमि की विक्रय विलेख की फोटो प्रतियां निकालकर पेश की। जो प्रकरण में वांछित होने से जरिये जब्ती जब्त की गई। फर्द पर मन निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर

करवाये जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। ताबाद फारिक हो ब्यूरो चौकी के लिए रवाना हुआ। वक्त 0100 पी.एम.पर मन निरीक्षक हमरा गिरफ्तार शुदा मुल्जिम अंकुश बाघेला पटवारी दोनों स्वतंत्र गवाह ब्यूरो जाब्ता के कार्यालय पटवार मण्डल पोपावास पावटा सर्किल जोधपुर से उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा ब्यूरो चौकी पहुंचा। वक्तः- 0110 पी.एम.पर उच्च अफसरान के निर्देशानुसार श्री किशनसिंह उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी जोधपुर को प्रकरण में परिवादी के रिपोर्ट एवं ट्रान्सक्रिप्टों में श्री महेन्द्रसिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह जाति राजपुरोहित उम्र 31 वर्ष पेशा व्यवसाय निवासी गांव बम्बोर तहसील व जिला जोधपुर द्वारा पटवारी श्री अंकुश बाघेला से परिवादी के पेडिग कार्य म्यूटेशन नहीं भरने का दबाव बनाने के कृत्य आने पर पूर्व में तलबी करने हेतु जरिये जाब्ता निर्देशित किया गया था जो श्री महेन्द्र सिंह को हमरा लेकर उपस्थित आये। श्री महेन्द्र सिंह से प्रकरण में आये तथ्यों के सम्बन्ध में आरोपी श्री अंकुश बाघेला पटवारी के रूबरू पूछताछ की गई। पूछताछ से श्री महेन्द्रसिंह का जवाब संतोषप्रद होकर प्रकरण में भूमिका संदिग्ध होना नहीं पाई गई। जिस पर श्री महेन्द्र सिह का पृथक से स्पष्टीकरण मुर्तिब नहीं किया गया एवं बाद पूछताछ श्री महेन्द्रसिंह को रुखसत किया। 0200 पी.एम.पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप कार्यवाही के दौरान अपने मोबाईल फोन से कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाई गई थी। उक्त मोबाईल से कार्यवाही की करवाई गई विडियोग्राफी को लेपटॉप के माध्यम से एक पेन ड्राईव में सेव कर तैयार किया गया। पेन ड्राईव को शामिल रंनिग नोट किया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री अंकुश बाघेला पुत्र श्री कैलाश बाघेला जाति मेघवाल उम्र 29 वर्ष पैशा सरकारी नौकरी निवासी बाईजी का तालाब जालोरी गेट जोधपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल पोपावास जोधपुर अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल बम्बोर तहसील एवं जिला जोधपुर ने परिवादी श्री सुरेश यादव द्वारा गांव बम्बोर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 11/1 व 12/2 में कुल 20 दुकानों की जमीन क्षेत्रफल 501.14 वर्गगज जरिये पृथक-पृथक विक्रय विलेख दिनांक 02.12.2022 को क्रय की गई। उक्त क्रय की गई 20 दुकानों का पृथक-पृथक म्यूटेशन भरने की एवज में प्रति दुकान 5000 रूपये के हिसाब से कुल 1,00,000 रूपये बतौर रिश्वत मांग करना दिनांक 24.06.2026 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन 1,00,000 रूपये परिवादी से बतौर रिश्वत मांग करना एवं परिवादी द्वारा राशि कम करने की विनती करने पर 75,000 रूपये बतौर रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत होना एवं दिनांक 17.07.2026 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन परिवादी से पूर्व में तय की गई 75,000 रूपये फिनोफथलीन पाउडर लगा रखी थैली को परिवादी की कार में बैठकर अपने हैलमेट में रखवाना। जहां से रिश्वत राशि रखी फिनोफथलीन पाउडर युक्त थैली को रूबरू मौतबिरान बरामद करना तथा रिश्वत राशि बरामदगी स्थल आरोपी के हेलमेट के अन्दर का भाग का लिया गया विधिवत लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आना तथा परिवादी के पेडिंग कार्य से सम्बधित परिवादी का उक्त दुकानों का म्यूटेशन भरने हेतु आरोपी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र मय 20 दुकानों की रजिस्ट्री की प्रतियां आरोपी के कार्यालय से जब्त करना आदि आपराधिक कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। आरोपी श्री अंकुश बाघेला पुत्र श्री कैलाश बाघेला जाति मेघवाल उम्र 29 वर्ष पैशा सरकारी नौकरी निवासी बाईजी का तालाब जालोरी गेट जोधपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल पोपावास जोधपुर अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल बम्बोर तहसील एवं जिला जोधपुर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जा रही है। भवदीय, (मनीष चौधरी) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू जोधपुर......कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष चौधरी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-जोधपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अंकुश बाघेला पुत्र श्री कैलाश बाघेला जाति मेघवाल उम्र 29 वर्ष पैशा सरकारी नौकरी निवासी बाईजी का तालाब जालोरी गेट जोधपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल पोपावास जोधपुर अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल बम्बोर तहसील एवं जिला जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गोरधन राम, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 366 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1218-21 दिनांक 21.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- जिला कलक्टर, जोधपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू-जोधपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): gordhan ram Rank (पद): उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/07/2026 10:55:18

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1997				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)